न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 235/2024/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 26.09.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

कन्हैयालाल आत्मज श्रीराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सखावदा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

...अपीलार्थी

बनाम

1. नटी बाई बैवा श्री रामप्रसाद, जाति गुर्जर
2. उर्मिला बाई पुत्री श्री रामप्रसाद, जाति गुर्जर
3. रामहेत आत्मज श्री रामप्रसाद, जाति गुर्जर
4. गिरिराज आत्मज श्री रामप्रसाद, जाति गुर्जर
   निवासीगण ग्राम पीपल्दा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
5. बाबूलाल आत्मज श्री धन्नालाल, जाति गुर्जर
6. गोकुल आत्मज श्री धन्नालाल, जाति गुर्जर,
   निवासीगण ग्राम पाली, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
7. कैलाशी बाई पुत्री श्री धन्नालाल पत्नी श्री बाबूलाल, जाति गुर्जर, हाल निवासी ग्राम डडवाड़ा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री ललित नागर, अभिभाषक – अपीलांट
श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 12.09.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 193/अपील/2017 बउनवान रामप्रसाद जरिये का0मु0 नटी बाई वगे0 बनाम कन्हैयालाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2023 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 के द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 186 दिनांक 19.05.2017 ग्राम कांकरामेज जो कि अनरजिस्टर्ड वसीयत

अति. सं. आयुक्त कोटा

के आधार पर तस्दीक किया गया था, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 14.08.2023 से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त करने का आदेश पारित करते हुए तदनुसार प्रकरण तहसीलदार इन्द्रगढ को विस्तृत जांच कर साक्ष्य सबूत रिकोर्ड पर लिये जाकर तथा सभी हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से नामांतरकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2023 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा सं0 561 की रकबा 2.31 है0, खसरा सं0 633 की रकबा 1.17 है0 कुल 2 किता की रकबा 3.48 है0 वाके ग्राम कांकरामेज, पटवार हल्का बसवाड़ा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बूंदी में स्थित है। जिसके मूल खातेदार गंगाधर थे, जो लाऔलाद फौत हो गये। गंगाधर को आजीवन अपीलांट व उसके पिता श्रीराम तथा दादा किशनलाल ने सम्भाला और उनकी वृद्धावस्था में सेवा सुश्रुषा एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की तथा गंगाधर जी के स्वर्गवास के बाद सम्पूर्ण क्रियाकर्म, दाह संस्कार इत्यादि अपीलाट ने ही बहैसियत पुत्र सम्पन्न किये और गंगाधर ने अपने जीवनकाल में ही अपनी उपरोक्त आराजी की वसीयत दिनाक 10.05.2011 को समक्ष गवाहान् व समक्ष सरपंच ग्राम पंचायत सखावदा, जिला बूदी एवं पंचों के समक्ष अपीलाट के पक्ष में आलेखित करवाकर निष्पादित की। उनके द्वारा अपनी आराजी तथा चल–अचल सम्पत्ति का वारिस अपीलांट को घोषित किया तथा ग्राम कांकरामेज गांव में स्थित भूमि को जरिये वसीयत अपीलांट को प्रदान की गई। गंगाधर के स्वर्गवास के बाद तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा जांच धारा 135 (2) एल०आर० एक्ट के तहत वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किये जाने के आदेश दिनांक 28.04.2017 को पारित किये, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 19.05. 2017 को तस्दीक फरमाया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बून्दी के यहां रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गई, जिस पर दिनाक 14.08.2023 को निर्णय पारित कर तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण को निरस्त करते हुये प्रकरण रिमाण्ड कर पुनः जांच व सुनवाई कर निर्णय पारित करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय दिनांक 14.08.2023 कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध एवं पत्रावली पर प्रस्तुत रिमार्क के विरूद्ध पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14. 08.2023 न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के गवाहान् बयानों को नजरअंदाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किंया है। स्व० गंगाधर ने अपने जीवनकाल में समक्ष गवाहान् सत्यनारायण सोनी आत्मज श्री केसरीलाल, निवासी लाखेरी, जिला बूंदी, संतूलाल आत्मज श्री केसरीलाल, जाति बैरवा, निवासी सखावदा, रामप्रसाद आत्मज श्री भैरूलाल, निवासी सखावदा, हेमराज आत्मज श्री कस्तूरचंद, निवासी सखावदा, कल्याण आत्मज श्री चतरा, निवासी भावपुरा, कालूलाल आत्मज श्री जगदीश, निवासी भावपुरा, पप्पूलाल वर्मा आत्मज श्री गोपाल वर्मा तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत सखावदा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बूदी के समक्ष अपीलांट के पक्ष में वसीयत आलेखित कर निष्पादित की थी। उक्त वसीयत की जांच कर गवाहान् के बयान दर्ज करते हुये बाद सुनवाई निर्णय नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के सम्बंध में पारित किया है, जो हर प्रकार से कानून सम्मत है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण निरस्त करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट ने वसीयत को फर्जी बताया है

परंतु वसीयत को फर्जी बताकर अवैध घोषित करने के सम्बंध में प्रकरण की सुनवाई की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है बल्कि सिविल न्यायालय को है। वास्तविकता यह है कि वसीयत नियमानुसार आलेखित होकर निष्पादित की है, जो गवाहों से प्रमाणित है, जिस पर फर्जी होने का संदेह नहीं किया सकता है। रेस्पोडेन्ट की माता ने आजीवन वसीयत को चैलेन्ज नहीं किया। चूंकि कन्या बाई को वसीयत की जानकारी थी। कन्या बाई को आजीवन अपीलांट ने बुआ मानकर सम्पूर्ण दायित्वों की पालना की और कन्या बाई के स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबूझकर समय सीमा से बाहर अपील पेश की है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुये निर्णय दिनाक 14.08.2023 को पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट की अपील अवधि बाधित थी तथा देरी का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं था जबकि देरी के प्रत्येक दिन का कारण सहित अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है तथा अपीलाट का कब्जा स्व० गंगाधर के जीवनकाल में ही चला आ रहा है। इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के बाद भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। इसकी पालना में आज भी भूमि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय को अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 135(2) एल.आर. एक्ट में बाद सुनकर वसीयत की जांच कर गवाहान् के बयान रिकॉर्ड पर लिये जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़, जिला बूदी में निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व वसीयत के आधार पर सुनवाई करते हुये अपीलांट के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 28.04.2017 को पारित किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील कानूनन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मेन्टेनेबल नहीं थी, जो कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा बाद सुनवाई पारित किये गये आदेश दिनांक 28.04.2017 के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, कोटा के समक्ष पोषणीय थी और इस सम्बंध में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति उठायी थी, परंतु उसके बावजूद भी उक्त कानूनी स्थिति को नजरअंदाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विरुद्ध जाकर अपील को गलत रूप से पोषणीय मानते हुये आदेश दिनांक 14.08.2023 पारित किया है, जो हर प्रकार से कानून के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.08.2023 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी गंगाधर के नाम दर्ज थी तथा गंगाधर गैर खातेदार थे। गंगाधर ने अपने जीवनकाल में ही अपनी उपरोक्त आराजी की वसीयत दिनाक 10.05.2011 को समक्ष गवाहान् व समक्ष सरपंच ग्राम पंचायत सखावदा, जिला बूदी एवं पंचों के समक्ष अपीलाट के पक्ष में आलेखित करवाकर निष्पादित की। उनके द्वारा अपनी आराजी तथा चल-अचल सम्पत्ति का वारिस अपीलांट

अति. सं. आ. कोटा

को घोषित किया तथा ग्राम कांकरामेज गांव में स्थित भूमि को जरिये वसीयत अपीलांट को प्रदान की गई। गंगाधर के प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं होने से भतीजे के पुत्र के पक्ष में गंगाधर के द्वारा वसीयत की गई थी। तहसीलदार इन्द्रगढ़ के द्वारा 9 गवाहों को एवं सरपंच को तलब कर बयान लेखबद्ध किये जाकर बाद तस्दीक वसीयत के वादग्रस्त नामांतरकरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया गया था। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है तथा अपीलाट का कब्जा स्व० गंगाधर के जीवनकाल में ही चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबूझकर समय सीमा से बाहर अपील पेश की है तथा विलम्ब होने का कारण ऑनलाईन जमाबंदी को निकलवाने में हुई देरी बताया गया है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुये निर्णय दिनाक 14.08.2023 को पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार, इन्द्रगढ़ के द्वारा धारा 135(2) एलआरएक्ट के तहत पारित आदेश के विरूद्ध अपील पेश नहीं की गई है, जबकि मूल आदेश की ही अपील होनी चाहिए थी। क्योंकि उक्त मूल आदेश के द्वारा ही बांद जांच नामांतरकरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया गया था। रेस्पो0 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत को फर्जी बताया गया है तो वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय में चैलेंज किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 के द्वारा वारिसान बताया जाकर अधिकार तय करवाने हेतु नामांतरकरण की कार्यवाही में अनुतोष चाहा गया। जबकि अधिकार नामांतरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में तय नहीं होगें बल्कि नियमित वाद पेश किया जाना चाहिए था। यदि रेस्पो0 को प्रश्नगत वसीयत से कोई आपत्ति थी तो इस हेतु वसीयत को फर्जी साबित करने हेतु सिविल न्यायालय में जाना चाहिए था। गैर खातेदार के वसीयत नहीं करने की कोई मनाही नहीं है। वसीयत कोई भी स्वामी अपनी चल–अचल संपत्ति की कर सकता है। वास्तविकता यह है कि वसीयत नियमानुसार आलेखित होकर निष्पादित की है, जो गवाहों से प्रमाणित है, जिस पर फर्जी होने का संदेह नहीं किया सकता है। स्वअर्जित सम्पत्ति की वसीयत की जा सकती है तथा वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है, सिर्फ तस्दीक होना जरूरी है। रेस्पोडेन्ट की माता ने आजीवन वसीयत को चैलेन्ज नहीं किया। चूंकि कन्या बाई को वसीयत की जानकारी थी, इसके उपरांत भी कन्या बाई के द्वारा कभी कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत **RRD 2002 page no. 280, RRT 2021(2) Page no. 952, RRD 14-03-2011 Page No. 207, RRT 2003(1) page no. 650, 2014(4) DNJ [Raj.] Page no. 1638, RRT 2019(1) Page no. 184, 2018(3) DNJ [Raj.] page no. 930, 2019(3) DNJ [Raj.] page no. 1252, 2014(4) DNJ [Raj.] page no. 1463, RRT 2017(1) Page no. 117** पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि वसीयत गंगाधर के द्वारा नहीं बनायी गयी है तथा वसीयत सादा कागज पर फर्जी तरीके से बनवाई गई है, जो अनरिजस्टर्ड एवं नोटेरी से तस्दीक भी नहीं है तथा असल वसीयत पेश नहीं की गई। गंगाधर वादग्रस्त आराजी के गैर खातेदार थे, जिनको वसीयत करने का अधिकार नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के प्रकरण दारा सिंह एवं अन्य बनाम मेहर सिंह एवं अन्य में पारित निर्णय

अति. सं. आयुक्त
कोटा
12/09/2024

दिनांक 08.10.2001 से गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं होना जाहिर किया गया है। अपीलांट कन्हैयालाल मुनाफा काश्त पर वादग्रस्त आराजी पर खेती करता था। अपीलांट गैर खातेदार गंगाधर की बहन कन्याबाई के वारिस होने पर भी सुनवाई किये बिना ही वादग्रस्त नामांतरकरण तस्दीक किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.08.2023 न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **Jitendra Singh vs State of Madhyapradesh 13146/2021 Decision Date 06-09-2021 (SC), Dara Singh vs Mehar Singh Decision Date 08-10-2001 2002(2) WLN186** पेश किये।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पो0 के द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 186 दिनांक 19.05.2017 ग्राम कांकरामेज जो कि अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया था, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 14.08.2023 से प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार इन्द्रगढ को विस्तृत जांच कर साक्ष्य सबूत रिकोर्ड पर लिये जाकर तथा सभी हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से नामांतरकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा क्षेत्राधिकार के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया गया है तथा वसीयत को चैलेंज केवल सिविल न्यायालय में ही किया जा सकता है, नामांतरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क रहा है कि गैर खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती तथा वसीयत सादे कागज पर फर्जी तरीके से बनवायी गयी है।

7. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा हस्तगत प्रकरण में धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज प्रकरण में सुनवाई की गई है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) में पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्रदत्त नहीं था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। साथ ही तहसीलदार, इन्दगढ़ के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वसीयत के संदर्भ में गवाहान को सुनकर निर्णय पारित किया गया तथा प्रश्नगत नामांतरकररण उक्त आदेश की पालना में खोला गया है। रेस्पो0 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न्यायालय हाजा में वसीयत को फर्जी बताया गया है, जबकि तहसीलदार इन्द्रगढ़ के द्वारा गवाहान के बयान एवं उपलब्ध रिकोर्ड के आधार पर वसीयत की पुष्टि किया जाना प्रकट होता है। यदि रेस्पो0 को उक्त वसीयत से काई आपत्ति है तो वसीयत को सक्षम सिविल न्यायालय में ही चैलेंज किया जा सकता है। प्रकरण में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **RRT 2021(2) Page no. 956** में विवेचित किया गया है कि "नामांतरकरण संबंधी समरी प्रोसिडिंग्स में हक व अधिकारों का निस्तारण नहीं हो सकता। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार ने वसीयत को बयानों से प्रमाणित होना मानते हुए वसीयत के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृति के आदेश पारित किये। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत की वैधता नामांतरकरण संबंधी समरी कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता।"

अति. आयुक्त
कोटा

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2023 विधि विरूद्ध होना प्रकट होता है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 193/अपील/2017 बउनवान रामप्रसाद जरिये का0मु0 नटी बाई वगे0 बनाम कन्हैयालाल वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2023 अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, इन्द्रगढ़ द्वारा तस्दीक नामातंरकरण संख्या 186 दिनांक 19.05.2017 यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

12/09/25

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा